बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 09-02-26

संख्याः–17/विविध–01–16/2010–183(17)/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (i) यह नियमावली "सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।"

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली दिनांक–03.04.2025 से प्रवृत्त होगी, जो वैसे मामलों पर भी प्रभावी होगी, जिसमें चयन की अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित है, परंतु मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गयी है। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

2. **सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–7 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–7(iii) (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   "सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् सम्प्रति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम एक वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होना अनिवार्य होगा। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् सम्प्रति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम एक वर्ष का रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, वे भी सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।"

3. **सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के Annexure-A (2) तथा Annexure-B (4) का विलोपन।**–उक्त नियमावली Annexure-A (2) तथा Annexure-B (4) को विलोपित किया जाता है।

4. **सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के Annexure-B (2) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के Annexure-B (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् सम्प्रति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम एक वर्ष का रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।"

5. **सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के Annexure-B (3) (च) में जोड़ना।**–उक्त नियमावली Annexure-B (3) (च) के अंत में निम्नवत जोड़ा जाता है :–

"बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि द्वारा संचालित सहित) चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों में समकक्ष पद पर किये गये कार्य का कार्यानुभव मान्य होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध 1–16/2010– 183(17) **/पटना, दिनांक–** 09.02.26

प्रतिलिपि :– ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्, पटना को सभा/परिषद् के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

9/2/26
सरकार के विशेष सचिव।